राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 966/2007/झुंझुनूं

मैसर्स आर.के.ट्रैडिंग कम्पनी,
बस स्टैण्ड के पास, झुंझुनूं। ....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
नागौर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 295/आरवैट/झुंझुनूं/06–07 में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.04.2007 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, नागौर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा आरोपित शास्ति राशि रूपये 64,104/– को यथावत् रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन संख्या एचआर–61–6641 को ग्राम रोल, नागौर के पास रूकवाकर चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन चालक/माल प्रभारी परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर उन्होंने परचून 126 नग मैसर्स आर.के.ट्रेडिंग कम्पनी, झुंझुनूं माल कन्साईनर के चालान संख्या 2, 3 दिनांक 18.09.2006 और चौधरी ईशरवाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, झुंझुनूं के बिल्टी संख्या 2 दिनांक 18.09.2006 प्रस्तुत किये, जिससे ज्ञात हुआ की परिवहनित माल फर्म की ब्रांच कन्साइनी, जोधपुर जा रहा था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर ज्ञात हुआ कि परिवहनित माल के साथ वैट इनवॉइस वैट कर चुकाने का प्रमाण पत्र नहीं था। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने परिवहनित माल को करापवंचना की नियत से परिवहनित किया जाना मानकर अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(2),(4),(5) के तहत् नोटिस किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर माल से संबंधित कागजात प्रस्तुत किये। कर निर्धारण अधिकारी ने परिवहनित माल का भौतिक सत्यापन करवाया गया, जिसके अनुसार 126 नग बर्तन, हार्डवेयर, प्लास्टिक, हौजरी, मनिहारी आदि माल के कार्टून पाये गये। इस पर कर निर्धारण

लगातार.....2

अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की माल कन्साइनी फर्म को लेखा–पुस्तकें प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में उन्होंने लेखा–पुस्तकों की जांच रिपोर्ट फैक्स द्वारा दी गई। इस रिपोर्ट से स्पष्ट था कि अपीलार्थी फर्म द्वारा परिवहनित माल की कोई खरीद नहीं की थी। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण हेतु अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी पर शास्ति राशि रूपये 64,106/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को यथावत् रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल व्यापारी की लेखा–पुस्तकों में दर्ज था, एवं संव्यवहार में अभी माल की बिक्री नहीं होने से इस दशा में कर देयता नहीं बनती है। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने किसी भी प्रकार से यह सिद्ध किये बिना कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर चोरी की मंशा से माल का परिवहन किया है, शास्ति का आरोपण कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि माल प्रभारी/वाहन चालक से परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर उन्होंने परचून 126 नग मैसर्स आर.के.ट्रेडिंग कम्पनी, झुझुनूं के प्रस्तुत किये, जबकि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार वाहन में 126 नग बर्तन हार्डवेयर, प्लास्टिक, हौजरी, मनिहारी आदि माल के कार्टून थे। साथ ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर ज्ञात हुआ कि परिवहनित माल के साथ वैट इनवॉइस वैट कर चुकाने का प्रमाण पत्र नहीं था। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की दृष्टि से माल का परिवहन किया जा रहा था। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....3

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार परिवहनित माल में भिन्नता पाई गई, एवं परिवहनित माल के साथ वैट इनवॉइस वैट कर चुकाने का प्रमाण पत्र भी नहीं था, जो कि अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है:–

76(2)(b) Carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or dispach memos.

7. उक्त प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल–बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम का धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन किया गया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जब वाहन को चैक किया गया, उस समय उसके पास परिवहनित किए जा रहे माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वैट इनवॉइस नहीं था, जिससे कि स्पष्ट हो सकता था, कि माल कर चुकाने के बाद परिवहनित किया जा रहा था। अतः यह अधिनियम की धारा 76(2)(b) का स्पष्ट रूप उल्लंघन है, जिसके लिए धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपणीय है। साथ ही वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुंझुनूं की जांच रिपोर्ट से यह सिद्ध हो गया कि परिवहनित किए जा रहे माल की खरीद फर्म ने नहीं की है, तो बिक्री का चालान स्वतः ही बोगस प्रमाणित हो गया। माल के भौतिक सत्यापन करने पर भी प्राईवेट मार्का एवं अन्य विसंगतियां पाई गई है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुंझुनूं की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी ने दिनांक 01.04.2006 से 25.09.2006 तक कोई माल खरीद नहीं किया जाना बताया गया, जबकि भौतिक सत्यापन पर कर निर्धारण अधिकारी ने अभिग्रहित माल की विनिर्माण तिथि कर निर्धारण आदेश के पेज संख्या 8 पर अंकित की है। यह विनिर्माण तिथि अप्रेल, 2006 के बाद की है, इसके अलावा चालान में घोषित माल मे भिन्न अघोषित माल भी पाया गया था, जो कर निर्धारण आदेश के पृष्ठ संख्या 8 पर अंकित है। उपरोक्त विवेचन से कर निर्धारण अधिकारी ने पूर्णतया प्रमाणित किया है कि परिवहनित किया जा रहा माल वैट इनवॉइस से समर्थित नही है तथा अघोषित माल स्वतः ही अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपण योग्य हो गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नही है।

8. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 17.04.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य